तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टी.ए./4035/2005/बीकानेर** **चूनाराम व अन्य बनाम कैलाश व अन्य**	
	एकल-पीठ **श्री धूकलराम कसवॉ, सदस्य** **उपस्थितः-** (1) श्री के.के.पुरोहित अभिभाषक प्रार्थी (2) श्री जी.एस.लखावत अभिभाषक अप्रार्थी **निर्णय दिनांक : 10-8-2018** यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 230 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर के निर्णय दिनांक 16-6-2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं। 2- प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अप्रार्थीगण वादीगण ने प्रार्थी प्रतिवादी के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी बीकानेर के न्यायालय में एक नियमित वाद अधिनियम की धारा 188 के अन्तर्गत वादपत्र में अंकित आराजी के बाबत प्रस्तुत करते हुये वाद पत्र के साथ अधिनियम की धारा 212 के तहत प्रार्थना पत्र वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया जिसे विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई अपने निर्णय दिनांक 13-8-03 के द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर अप्रार्थीगण ने राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 16-6-2005 के द्वारा अपील स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी बीकानेर के निर्णय दिनांक 13-8-03को निरस्त कर अप्रार्थीगण की ओर से अधिनियम की धारा 212 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया। इससे व्यथित होकर यह निगरानी मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है। 3- उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस निगरानी पर सुनी गई। 4- प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने निगरानी मीमो में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि विचारण न्यायालय ने उनके समक्ष प्रस्तुत रेकार्ड एवं अन्य दस्तावेंजी साक्ष्य के आधार पर उचित निष्कर्ष निकालते हुये अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा निरस्त किया था। खसरा नम्बर 84/3 की 3 बीघा शमसान	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टी.ए./4035/2005/बीकानेर** **चूनाराम व अन्य बनाम कैलाश व अन्य**	
	भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज होने तथा खसरा नम्बर 76 में से होकर रास्ता खसरा नम्बर 84/3 में जाना सम्बत 2005 के नक्शे के आधार पर सिद्ध है। जिसे भू प्रबन्ध विभाग ने बिना किसी अधिकार के परिवर्तित कर दिया। धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की कार्यवाही में तहसीलदार ने अप्रार्थी को नोटिस दिया उसके जबाब में अप्रार्थीगण की यह स्वीकृति है कि वर्तमान रास्ते से पूर्व जो रास्ता था उसे भू प्रबन्ध विभाग ने बदल दिया है एवं यह रास्ता बनने के बाद अब पुराने रास्ते की आवश्यकता नहीं है। अर्थात अप्रार्थी स्वयं मानते हैं कि पूर्व में रास्ता चालू था लेकिन उसकी अब आवश्यकता नहीं है। इससे प्रथम दृष्टया प्रकरण अप्रार्थीगण के पक्ष में बनना साबित होता है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर उनके पीढियों से प्रयोग में लाये जाने वाले रास्ते के उपयोग से वंचित कर दिया है जिससे प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति हो रही है। इसलिये अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय निरस्त योग्य है। 5- जबाब में अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि खसरा नम्बर 76 की 28बीघा 1 विस्वा भूमि उनकी संयुक्त खातेदारी की भूमि है और इसमें 13 विस्वा भूमि गैर मुमकिन है जो सालासर होते हुये बीकानेर मार्ग व इसी बीकानेर मार्ग से निकलकर मेघासर, कोलासर जाने वाला मार्ग रहा है। उक्त दोनों रास्तों पर अब कंकर डालकर ग्रेवल सडक बना दी गई है जो सर्वे सीट में दर्ज है। कच्चा रास्ता कोई नहीं रहा है। सडकें आज भी उनके खेत में मौजूद हैं। इनके अलावा न तो कोई रास्ता था और न अब है। सम्बत 2025से पूर्व दो रास्ते ही चलते थे जो उनके खेत में मौजूद हैं। प्रार्थी राजनीतिक रंजिश के कारण उनके खेत में से नया रास्ता निकलवाना चाहते हैं। अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय विधिसम्मत है। निगरानी खारिज योग्य है। 6- हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। 7- पक्षकारों के स्वत्व एवं अधिकारों का अन्तिम रूप से निस्तारण मूल वाद में साक्ष्य के द्वारा होगा। अधिनियम की धारा 212 के प्रार्थना पत्र	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टी.ए./4035/2005/बीकानेर** **चूनाराम व अन्य बनाम कैलाश व अन्य**	
	में प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन,अपूर्णनीय क्षति एवं कब्जे बाबत मुख्य रूप से विचार किया जाना है। पत्रावली में उपलब्ध नकल जमाबन्दी सम्बत 2051से 2054के अनुसार खसरा नम्बर 76 की 28बीघा 1 विस्वा भूमि अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि है और इसमें 13 विस्वा भूमि गैर मुमकिन दर्ज है। अप्रार्थीगण का यह कथन रहा है कि 13 विस्वा भूमि जो गैर मुमकिन दर्ज है वहां सालासर होते हुये बीकानेर मार्ग व इसी बीकानेर मार्ग में से निकलकर मेघासर, कोलासर जाने वाला मार्ग है जो अब कंकर डालकर सडक बना दी गई है। इसके अलावा इस भूमि में कोई रास्ता नहीं है। जब मौके पर इसके अलावा कोई रास्ता होना रेकार्ड से साबित नहीं होता तो भू प्रबन्ध विभाग द्वारा परिवर्तन किये जाने का प्रश्न पैदा नहीं होता है। उक्त तथ्यों कों ध्यान में रखते हुये अपीलीय न्यायालय ने अप्रार्थीगण का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में कोई विधिक भूल नहीं की है। इसलिये प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज योग्य है। 8– अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(धूकलराम कसवाँ)** **सदस्य**	